रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263637 SG-DL-E-06062025-263637

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] No. 175] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 89 [N. C. T. D. No. 89

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2025

(संख्या 06 / 2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (561) / नीति / जीसटी / 2025 / 336.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 52 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रपत्र जीएसटीआर—8 में ई—वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई माल अथवा सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे सहित माह दिसम्बर, 2024 हेतु विवरण प्रस्तुत करने की समय—सीमा को दिनांक 12 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

3683 DG/2025 (1)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy and Research Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 06/2025-State Tax)

F. No. 2(561)/policy/GST/2025/336.—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (4) of section 52 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the statement, containing the details of outward supplies of goods or services or both, effected through an e-commerce operator, in FORM GSTR-8, under sub-section (4) of section 52 of the said Act read with rule 67 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 12th day of January, 2025.

CHANCHAL YADAV, Commissioner (State Tax)